संपादकीय

शिक्षा में बदलाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय-समय पर शैक्षिक मूल्यों, पाठ्यचर्या, पाठ्य-सामग्री, सीखने-सिखाने के तरीके, आकलन की प्रक्रिया आदि में बदलाव सुझाए जाते हैं। परंतु इन बदलावों को अपनाते हुए शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की ज़िम्मेदारी सबसे अधिक शिक्षक पर होती है। पर क्या हम, ऐसे शिक्षक तैयार कर पाते हैं जो इस कसौटी पर खरे उतरें और जो हमारे बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक संदर्भ में सभी बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम हों? क्या वे आज की समावेशी कक्षा में भिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के अनुरूप अपने शिक्षण में बदलाव ला पाते हैं? क्या वे विभिन्न सामाजिक परिवेशों व वर्गों के बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं और कक्षा में सभी बच्चों के लिए सहज वातावरण बना पाते हैं? क्या समय के साथ वे अपने शिक्षण कौशलों में परिवर्तन ला पाते हैं? क्या ऐसे शिक्षक तैयार करने के लिए वर्तमान शिक्षक शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन की ज़रूरत महसूस की गई है? आदि कुछ ऐसे सरोकार हैं जिन्हें इस अंक में शामिल लेखों के माध्यम से छूने का प्रयास किया गया है।

उषा शर्मा का लेख यह उजागर करता है कि यदि हम बच्चों में शुरू से ही पठन क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं तो इससे जुड़े पहलुओं को शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने की ज़रूरत है।

हमारी कक्षाओं में सवाल पूछने की आज़ादी अधिकतर शिक्षकों को ही होती है, बच्चे उनके सवालों के जवाब देते हैं। केवलानंद कांडपाल समझा रहे हैं कि यदि शिक्षक बच्चों से संवाद बनाए और उन्हें प्रश्न पूछने की आज़ादी दे तो वे उनके साथ ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में अधिक सक्रियता से भाग ले सकेंगे।

सुजाता साहा ने अपने लेख में विश्लेषण करते हुए बताया है कि यदि अध्यापन में इलैक्ट्रॉनिक तथा परंपरागत माध्यमों का प्रयोग किया जाए तो अधिगम को और रोचक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है वहीं शिक्षण की कुछ रोचक और प्रभावशाली विधियों पर पुष्प लता वर्मा भी अपने लेख के माध्यम से रोशनी डाल रही हैं।

यद्यपि हमारे विद्यालयों में बच्चों को शारीरिक दंड देना एक कानूनी अपराध है। परंतु आज भी बच्चों को शारीरिक दंड के अलावा ऐसे दंड दिए जाते हैं जो किसी भी मायने में उचित नहीं कहे जा सकते। शारदा कुमारी ने अपने अनुभवपरक लेख में खुलासा किया है कि अध्यापक की भाषा बच्चों के प्रति कितनी असंवेदनशील हो सकती है।

अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने विभिन्न शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में बदलाव के लिए नया अधिनियम बनाया है। जितेन्द्र कुमार पाटीदार के लेख में इसी अधिनियम में प्रस्तावित 'रिफ़्लेक्टिव शिक्षण' से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है।

'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस आरक्षण के वास्तविक क्रियान्वयन पर अर्चना मेहेंडले, राहुल मुखोपाध्याय और एनी नामला के शोध परक लेख जिसे यहाँ पाठकों के लिए पुन: प्रकाशित किया गया है, के माध्यम से विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है।

शोध परक अध्ययन यह बताते हैं और जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा– 2005 में भी की गई है, कि बच्चे (विशेष रूप से छोटी कक्षाओं में) ज्ञान की रचना अपनी मातृभाषा में अधिक सहजता से कर पाते हैं। लंबे समय से प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा–आधारित शिक्षा की बात कही जा रही है रश्मि श्रीवास्तव ने अपने लेख में पुन: मातृभाषा–आधारित बहुभाषी शिक्षा की आवश्यकताओं को दोहराया है और इसे अपनाने के लिए सुझाव भी दिए हैं।

बच्चों में विभिन्न व्यावसायिक कौशल विकसित करना हमेशा से शैक्षिक प्रक्रिया का एक उद्देश्य रहा है परंतु इस दिशा में अभी तक ऐच्छिक प्रगति नहीं हो पाई है। आज इस विषय पर गंभीरता से पुन: विचार किया जा रहा है। चित्ररेखा और मनोज कुमार ने अपने लेख में विद्यार्थियों में कौशल विकास की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए इससे जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1986 में बदलाव की प्रक्रिया जारी है। उससे जुड़े किसी भी लेख का हम स्वागत करेंगे।

अकादमिक संपादकीय समिति